न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. (राजस्व पुनरीक्षण)

रा.पुन.क्रं.– R 1073-I-17 प्रस्तुत दिनांक– /04/2017

1. श्रीमति रामबाई पत्नि स्व. अमोल सिंह ठाकुर आयु 65 वर्ष

2. अमरीक सिंह पिता स्व. अमोल सिंह ठाकुर आयु 45 वर्ष

3. भूपेन्द्र सिंह पिता स्व. अमोल सिंह ठकुर आयु 32 वर्ष

क्रं. 1 से 3 निवासी निरकांरी भवन के पास ग्राम बिंझिया

तहसील व जिला मंडला म.प्र.

4. श्रीमति संयोगिता पत्नि गिरीश जंघेला पुत्री स्व. अमोल सिंह

ठाकुर आयु 30 वर्ष निवासी खैरमाई वार्ड बिंझिया

तहसील व जिला मंडला म.प्र. .... अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्व

श्रीमति दुर्गावती डोंगसरे पत्नि स्व. विपिन बिहारी डोगसरे

आयु लगभग 60 वर्ष निवासी डोंगसरे ज्वेलर्स सदर बाजार

मंडला तह. व जिला मंडला म.प्र. .... आवेदिका/उत्तरवादी

राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 7 म.प्र.वास स्थान दखलकार

(भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980

पुनरीक्षणाधीन आदेश

आज दि 3-4-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमति प्रीति मैथिल कलेक्टर मंडला ने रा.अ.क्रं. 25 (अ–19/1) 2015.16 श्रीमति दुर्गावती विरूद्व श्रीमति दशोदी बाई में पारित आदेश दिनांक 21.02.2017 जिसमें पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदिका की अपील निरस्त की गई है के विरूद्व।

प्रकरण के तथ्यः–

यह कि, आवेदिका श्रीमति दुर्गावती ग्राम बिंझिया प.ह.नं. 28 तह. व जिला मंडला में स्थित भूमि खसरा नं. 148/1ख/1 में से रकवा 40X60=2400 वर्गफुट भूमि का म.प्र. वास स्थान दखलकार अधिनियम के अंतर्गत मूल

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1073–एक/2017 जिला –मण्डला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
11 –10–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला मण्डला के प्रकरण कमांक 25/अ–19/1/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21.2.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि मूल आवेदिका दशोदी बाई ने ग्राम बिझिया पटवारी हल्का नंबर 28 तहसील व जिला मण्डला में स्थित भूमि खसरा क0 148/क(ख) रकबा 0.26 है0 20 100 500 वर्गफुट भूमि पर बने मकान का मध्यप्रदेश वास स्थान दखलकार अधिनियम 1980 के अंतर्गत पटट्ा दिये जाने हेतु आवेदन पत्र अनावेदिका के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मण्डला की न्यायालय में प्रश किया गया था जिसका प्रकरण कमांक 38/अ–19/1/2004–05 था जिसमें दिनांक 9.5.06 को आदेश पारित करते हुये अपील स्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी मण्डला का आदेश दिनांक 13.12.04 निरस्त किया गया जिसके वियद्व मूल आवेदकिा दशेदी बाई के द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई जिसका निगरानी प्रकरण कमांक 2034–दो/06 दर्ज होकर अनावेदिका को सूचना पत्र जारी किया गया जिस पर अनावेदिका उक्त निगरानी में अपने अधिवक्ता के	

माध्यम से पेशियों में उपस्थित होती रही। निगरानी लंबन काल में मूल आवेदिका दशोदी बाई की मृत्यु दिनांक 24.6.12 को हो जाने से उक्त प्रकरण अनुपस्थिति में दिनांक 7.7.15 को खारिज कर दी गई जिस पर मूल आवेदिका दशोदी बाई के वारसानों के द्वारा उक्त निगरानी को पुनः नम्बर में कायम करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका विविध प्रकरण कमांक 130–एक/2016 रहा है, उक्त पुर्नस्थापित प्रकरण में दिनांक 31.8.17 को पुर्नस्थापना का आवेदन स्वीकार करते हुये मूल निगरानी 2034–दो/06 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये गये ।

3– निगरानी प्रकरण कमांक 2034–दो/06 अनुपस्थित होने से खारिज दिनांक 7.7.15 की आदेश पत्रिका के आधार बनाकर अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से अनावेदिका दुर्गावती डोंगसरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मण्डला के समक्ष निष्पादन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण कमांक 1/अ–19/1/2014–15 जिसके पक्षकार दुर्गावती विरूद्व दशोदी बाई रहे हैं उक्त आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी मण्डला के समक्ष निगरानीकर्ता उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत किये जिस आपत्ति को न्यायालय द्वारा निराकृत न करते हुये आदेश दिनांक 2.8.16 को पारित कर आवेदका दुर्गावती का कब्जा दिलाये जाने एवं राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 2.8.16 के विरूद्व दशोदी बाई के मूल वारिसान द्वारा कलेक्टर मण्डला के समक्ष अपील प्रकरण कमांक

25/अ–19/1/2015–16 प्रस्तुत की गई जो उचित विचारण किये बगैर ही दिनांक 21.2.17 को खारिज की गई जिसके विरूद्व राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

4–प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा मौखित रूप से बहस की। उभयपक्ष के अधिवक्तागण कें तर्क सुने प्रकरण में संलग्न अभिलेख का परिशीलन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि निगरानी प्रकरण कमांक 2034–दो/06 अनुपस्थित होने से खारिज दिनांक 7.7.15 की आदेश पत्रिका के आधार बनाकर अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से अनावेदिका दुर्गावती डोंगसरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मण्डला के समक्ष निष्पादन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण कमांक 1/अ–19/1/2014–15 जिसके पक्षकार दुर्गावती विरूद्व दशोदी बाई रहे हैं उक्त आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी मण्डला के समक्ष निगरानीकर्ता उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत किये जिस आपत्ति को न्यायालय द्वारा निराकृत न करते हुये आदेश दिनांक 2.8.16 को पारित कर आवेदका दुर्गावती का कब्जा दिलाये जाने एवं राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने हेतु आदेशित किया गया। लेकिन राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 2034–दो/06 अनुपस्थित होने से खारिज दिनांक 7.7.15 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रकरण कमांक विविध 130–एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 31.8.17 से हुये जो वर्तमान में संचालित है । प्रकरण के अवलोकन से यह भी प्रतीत

होता है कि तहसीलदार मण्डला द्वारा आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई उसके पश्चात भी अपने प्रकरण में कार्यवाही संचालित रखी गई, उसके पश्चात आवेदक द्वारा यह निगरानी दायर की इसमें स्थगन प्राप्त करने के बाद भी तहसीलदार मण्डला द्वारा प्रकरण कमांक 408/बी–121/2016–17 में कार्यवाही जारी रखी गई, आवेदक द्वारा प्रकरण कमांक 408/बी–121/2016–17 में कार्यवाही जारी होने के कारण पुनः एक निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की जिसका प्रकरण कमांक 2052–एक/17 था जिसमें स्थगन होते हुये कार्यवाही की गई थी जिसके कारण वह निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार मण्डला द्वारा अंतिरिम आदेश दिनांक 29.6.17, 12.7.17 निरस्त की गई।

5–प्रकरण के अध्ययन से प्रतीत होता है कि मूल निगरानी 2034–दो/06 आवेदिका की मृत्यु दिनांक 24.6.12 को होने के कारण अनुपस्थिति में खारिज हुई थी वह पुनः नंबर प्रकरण कमांक विविध 130–एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 31.8.17 के द्वारा लिया गया है। अतः इस प्रकरण कमांक में स्थगन होते हुये भी कार्यवाही संचालित रखी गई और आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया, नैसर्गिक न्याय सिद्वांतों की उपेक्षाकरते हुये त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर जिला मण्डला द्वारा वर्णित बिन्दुओं पर भी विधि की मंशा के अनुरूप कोई भी विवेचना न करते हुये अपील खारिज की गई जो स्वतः ही निरस्तीय योग्य है। मूल प्रकरण कमांक निगरानी

2034–दो/2006 पुनः संचालित की गई है जिसमें उभयपक्ष को आहूत किया जाकर अभिलेख की मांग की गई है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मण्डला का आदेश दिनांक 2.8.16 एवं कलेक्टर जिला मण्डला का आदेश दिनांक 21.2.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य